न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : **डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0**

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : **72/2021**

GCMS No. : **2021/76**

वादी :–	**बनाम**	**प्रतिवादीगण :–**
1. राजस्थान सरकार जरिये भूमि अधिकारी तहसीलदार जैतारण।		1.अन्तरकंवर पुत्री गोविन्दसिंह 2.गंगासिंह पुत्र गोविन्दसिंह 3.गोपाल कंवर पत्नि मदनसिंह 4.घनश्यामसिंह पुत्र भेरूसिंह 5.जयसिंह पुत्र गोविन्दसिंह 6.पूनमकंवर पुत्री भेरूसिंह 7.भंवरसिंह पुत्र गोविन्दसिंह 8.मोहनकंवर पत्नि भेरूसिंह 9.मोहनसिंह पुत्र रामसिंह 10.मोहनसिंह पुत्र हरकंवर 11.रेणु राठौड पत्नि रणजीत सिंह 12.राजेन्द्र सिंह पुत्र मदनसिंह 13.लक्ष्मणसिंह पुत्र गोविन्दसिंह 14.सुप्यारकंवर पुत्री हरकंवर 15.सुरेन्द्रसिंह पुत्र भेरूसिंह 16.स्वरुपकंवर पुत्री मदनसिंह 17.सायरकंवर पुत्री हरकंवर 18.सेहनकंवर पुत्री हरकंवर 19.हनुवन्तसिंह पुत्र रामसिंह जातियान राजपूत निवासीगण लाम्बियां तहसील जैतारण जिला पाली।

राजस्व वाद पत्र बाबत् बेदखली अन्तर्गत धारा 177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू –: 29/07/2021

उपस्थितः– 1. तहसीलदार, जैतारण, पैरोकार सरकार।

2. श्री नितेश चौहान, श्री हरीओम पारिक, श्री रामस्वरूप चौधरी, श्री शाकिर हुसैन, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉक :– 16/08/2022**

वादी राज्य सरकार की ओर से भूमि अधिकारी तहसीलदार जैतारण ने दावा पेश कर निवेदन किया कि [illegible] 971 रकबा 45–05 बीघा किस्म बा.दो. मौजा लांम्बिया में स्थित है। [illegible] आराजी का वादी भूमि (लैण्ड होल्डर) है। प्रतिवादीगण आराजी जैर बहस के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी संख्या 1 से 19 ने वादपत्र में वर्णित जमीन को कृषि के रूप में काम में न ले[illegible]बा 45–05

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 11:30:36 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

बीघा में से 30-03 बीघा जमीन को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए किस्म परिवर्तित कर आवासीय कॉलोनी काटकर खुर्द बुर्द कर रहे है जिसका प्रतिवादीगण को हक नहीं है। प्रतिवादीगण ने राजस्थान काश्तकारी कानुन के प्रावधानों व टीनेन्सी की शर्तों को भंग किया एवं बिना संपरिवर्तन आदेश के भूमि की किस्म को परिवर्तन की है, जिससे राजस्थान सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ है। प्रतिवादीगण द्वारा टीनेन्सी की शर्तों को भंग करने व राजस्थान सरकार के खिलाफ हानिप्रद कार्य करने के कारण अब प्रतिवादीगण को वादपत्र में वर्णित जमीन से बेदखल किया जाना व स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित है। बिनाय वाद मुखासमत दिनांक 03.06.2021 को पैदा हुआ जब भू.अ. निरीक्षक ने वादी को प्रतिवादीगण द्वारा वादपत्र में वर्णित जमीन से अवैध रूप से अकृषि कार्य (आवासीय कॉलोनी प्रयोजन) करने की सूचना जरिये रिपोर्ट दी।

इस पर दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से वकालतनामा पेश हुआ, सा. मि. है। बाद सम्मन सूचना के न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं रहने से प्रतिवादी संख्या 5 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 1 से 4, 6 से 12 व 14 से 19 जवाब दावा प्रस्तुत नहीं करना चाहते है, जवाब दावा बन्द किया गया। प्रतिवादी संख्या 13 की ओर से जवाब दावा पेश किया गया, सा.मि. है।

प्रतिवादी संख्या 13 ने अपने जवाब दावा में कथन किया कि सरहद मौजा लाम्बिया में खसरा नम्बर 971 रकबा 45-05 बीघा की जमीन आई हुई है। उक्त जमीन का मौके पर बंटवाडा हो रखा है तथा सभी हिस्सेदार अपने हक हिस्से अनुसार मौके पर काबिज है। जवाब देहान्दा अपने हक हिस्से की भूमि का उपयोग कृषि कार्य के रूप में ले रहा है लेकिन अन्य कुछ हिस्सेदार उसका गैरकृषि कार्य के रूप में ले रहे है परन्तु खसरा सामलाती होने से सभी पक्षकारों के विरूद्ध उक्त कार्यवाही पेश कर दी गई है जबकि मौके पर स्थिति भिन्न है तथा मौके पर प्रतिवादी संख्या 4 घनश्यामसिंह, 6 पूनमकंवर, 8 मोहनकंवर, 9 मोहनसिंह, 11 रेणु राठौड, 15 सुरेन्द्रसिंह, 19 हनुवन्तसिंह यह खातेदार उक्त आराजी का कृषि कार्य से भिन्न उपयोग अर्थात इन लोगों ने अपने हिस्से की आराजी में प्लॉट काटे है शेष पक्षकारों अर्थात प्रतिवादीगण ने अपनी आराजी में कोई प्लॉट अथवा कॉलोनी नहीं काटी है। यह लोग अपनी आराजी का उपयोग कृषि भूमि के रूप में ही कर रहे है इसलिए जवाब देहान्दा किसी तरह से टीनेन्सी शर्तो का भंग नहीं कर रहा है परन्तु खाता सामलाती होने से जवाब देहान्दा को पक्षकार संयोजित किया है। हानिप्रद कार्य करने वाले लोग अलग हैं उनकी विस्तृत रिपोर्ट मंगवाई जावे जिससे वास्तविक स्थिति रेकर्ड पर आ सके। वादी को जवाब देहान्दा के विरूद्ध कोई बिनाय वाद पैदा नहीं होता है क्योंकि जहां पर मौके पर कॉलोनी कटी हुई है वह जगह व जवाब देहान्दा के हक हिस्से की जगह अलग-अलग है। जवाब देहान्दा अपने हक हिस्से की भूमि में वर्तमान में भी काश्त कर रहा है परन्तु खाता सामलाती होने से जवाब देहान्दा को पक्षकार बनाया गया है, जो गलत है। क्योंकि वादी को सम्पूर्ण जानकारी करनी है क्योंकि खसरा काफी बडा है। जवाब देहान्दा के विरूद्ध धारा 177 के तहत कोई प्रावधान लागु नहीं होता है क्योंकि जवाब देहान्दा अपने हक हिस्से की भूमि में काश्त कर रहा है। वादी जवाब देहान्दा के विरूद्ध

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 11:30:36 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है क्योंकि जवाब देहान्दा अपने हक हिस्से की भूमि का मौके पर काश्त के रूप में उपयोग कर रहा है किसी तरह का कोई गैरकानूनी कृत्य नहीं कर रहा है। अतः जवाब वादपत्र मय शपथपत्र पेश कर निवेदन है कि वादी द्वारा जवाब देहान्दा के विरूद्ध पेश किया गया उक्त वादपत्र कानूनन पोषणीय नहीं होने से मय खर्चा खारिज फरमावें।

बहस सरकारी पैरोकार एवं वकील प्रतिवादीगण राजस्व वाद पत्र बाबत् अर्न्तगत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया गया। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है–

1. तहसीलदार जैतारण ने हस्तगत दावा विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम लाम्बिया स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 271 रकबा 45–05 बीघा किस्म बारानी दोयम कृषि भूमि में से प्रतिवादीगण ने 30–03 बीघा जमीन को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाएं आवासीय कॉलोनी काटकर खुर्द बुर्द कर रहे है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त कृषि भूमि का संपरिवर्तन भी नहीं करवाया है। अतः वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादीगण को बेदखल कर स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। वादपत्र के साथ प्रस्तुत मौका फार्द दिनांक 03.06.2021 के अंकन अनुसार अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के 2/3 हिस्से की भूमि पर प्लॉटिंग के सीमाचिन्ह लगाकर व ग्रेवल डालकर बिना संपरिवर्तन करवाए आवासीय कॉलोनी का परिवर्तन कर रहे है।

2. प्रतिवादी संख्या 13 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी का सह–खातेदारान के मध्य मौके पर बंटवाड़ा हो रखा है तथा सभी हिस्सेदार अपने हक हिस्से अनुसार मौके पर काबिज है। जवाब देहान्दा द्वारा मौके पर अपने हिस्से की भूमि का कृषि कार्य के रूप में ही उपयोग किया जा रहा है।

3. प्रतिवादीगण द्वारा प्रा.पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करने पर कि वादग्रस्त आराजी के संबन्ध में वादी द्वारा आधारहीन तथ्यों का उल्लेख कर मौके पर आवासीय कॉलोनी होना बताकर वादपत्र प्रस्तुत किया है। जबकि प्रतिवादीगण द्वारा वर्तमान में वादग्रस्त कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग/उपभोग नहीं किया जा रहा है न ही मौके पर ऐसी कोई स्थिती है। मौके पर वर्तमान में फसल बो रखी है। अतः मौका कमिश्नर नियुक्त कर रिपोर्ट तलब की जावे। जिस पर न्यायालय हाजा से भू–अभिलेख निरीक्षक लाम्बिया से वादग्रस्त आराजी की वर्तमान मौका स्थिति रिपोर्ट मय फॉटोग्राफ तलब की गई जो भू–अभिलेख निरीक्षक लाम्बिया द्वारा दिनांक 29.07.2022 पर मौके पर तैयार फर्द मौका एवं मौका स्थिति के फॉटोग्राफ तहसीलदार जैतारण द्वारा दिनांक 01.08.2022 को पेश की गई, के अनुसार भू–अभिलेख निरीक्षक लाम्बिया द्वारा 29.07.2022 को न्यायालय आदेश की पालना में पटवारी [illegible] की उपस्थिति में वादग्रस्त आराजी की मौका स्थिति जाँच कर फर्द [illegible] मौके की फॉटोग्राफ तैयार किये गये, मौके पर वादग्रस्त भूमि [illegible] करीब 1 बीघा के भाग में ज्वार की फसल बोई हुई है। भूमि मौके पर 3 भागों पर विभक्त है उसमें आने

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 11:30:36 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

जाने हेतु मौके पर रास्त बनाया हुआ है। वादग्रस्त भूमि पर कोई भी निर्माण, प्लॉटिंग इत्यिादि नहीं है। मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न फॉटोग्राफ अनुसार वादग्रस्त आराजी के कुछ भाग में फसल बोई हुई है, कुछ भाग में हल चलाने के निशानात है, कुछ भाग में वर्षा का पानी भरा हुआ है, लेकिन कहीं पर भी प्लॉटिंग, निर्माण इत्यादि अलामात नजर नहीं आ रहे है।

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन एवं वादग्रस्त आराजी की अद्यतन मौका स्थिति रिपोर्ट एवं मौके के फॉटोग्राफ के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी का कुछ भाग मौके पर खाली पडा है, कुछ भाग में बरसाती पानी भरा है, कुछ भाग में फसल बो रखी है तथा कुछ भाग में हल चलाने के निशानात है। मौके पर अकृषि प्रयोजनार्थ प्लॉटिंग, निर्माण इत्यादि किया हुआ नहीं है न ही वादी द्वारा ऐसा कोई तथ्य पेश किया गया है। सह–खातेदारान द्वारा वादग्रस्त अविभाजित आराजी का मौके पर अपने हिस्से अनुसार काबिज होना एवं अपने हिस्से तक पहुंच के लिये मार्ग इत्यादि छोडना किसी भी दृष्टि से अकृषि एवं मृदा की उत्पादकता के लिए अहितकर कार्य की श्रेणी में नहीं माना जा सकता। अतः हमारा विनम्र अभिमत है कि हस्तगत वादपत्र बखुबी साबित नहीं होता है। अतः धारा 177 के अन्तर्गत प्रतिवादीगण बेदखली के लिए उत्तरदायी नहीं है। हम प्रतिवादीगण को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 92 ए के अन्तर्गत इस बाबत् पाबन्द करना आवश्यक एवं उचित समझते है कि वे वादग्रस्त आराजी का बिना सक्षम स्वीकृति के कृषि भिन्न प्रयोजनार्थ उपयोग/उपभोग नहीं करें।

–:: आदेश ::–

उपर्युक्त बिन्दुवार विवेचन के आलोक में वाद वादी अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण बखुबी साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। प्रतिवादीगण को धारा 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी का बिना सक्षम स्वीकृति एवं बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग/उपभोग नहीं करें। इसी मुताबिक वादपत्र निर्णित होकर डिक्री किया जाता है। पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनांक 16/08/2022 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 11:30:36 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– **सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), मुकामः– जैतारण**

बईजलास :– **डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0**

वादी :–	**बनाम**	**प्रतिवादीगण :–**
1. राजस्थान सरकार जरिये भूमि अधिकारी तहसीलदार जैतारण।		1.अन्तरकंवर पुत्री गोविन्दसिंह 2.गंगासिंह पुत्र गोविन्दसिंह 3.गोपाल कंवर पत्नि मदनसिंह 4.घनश्यामसिंह पुत्र भेरूसिंह 5.जयसिंह पुत्र गोविन्दसिंह 6.पूनमकंवर पुत्री भेरूसिंह 7.भंवरसिंह पुत्र गोविन्दसिंह 8.मोहनकंवर पत्नि भेरूसिंह 9.मोहनसिंह पुत्र रामसिंह 10.मोहनसिंह पुत्र हरकंवर 11.रेणु राठौड पत्नि रणजीत सिंह 12.राजेन्द्र सिंह पुत्र मदनसिंह 13.लक्ष्मणसिंह पुत्र गोविन्दसिंह 14.सुप्यारकंवर पुत्री हरकंवर 15.सुरेन्द्रसिंह पुत्र भेरूसिंह 16.स्वरूपकंवर पुत्री मदनसिंह 17.सायरकंवर पुत्री हरकंवर 18.सेहनकंवर पुत्री हरकंवर 19.हनुवन्तसिंह पुत्र रामसिंह जातियान राजपूत निवासीगण लाम्बियां तहसील जैतारण जिला पाली।

मु0न0 :रा0प्रा0पत्र स0: 46/2021

राजस्व प्रार्थना–पत्र बाबत् बेदखली अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–........ व हाजरी तहसीलदार जैतारण, सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुद्दई व मिनजानिब मुद्धायलाह श्री नितेश चौहान, श्री हरीओम पारिक, श्री रामस्वरूप चौधरी, श्री शाकिर हुसैन, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण बख्रुबी साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से अस्वीकार किया जाता है। प्रतिवादीगण को धारा 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी का बिना सक्षम स्वीकृति एवं बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए अकृषि

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 11:30:36 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

प्रयोजनार्थ उपयोग/उपभोग नहीं करें। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत.....–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर . ...–.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख **16/08/2022** को जारी किया गया।

मोहर

सहायक कलक्टर
(फारेस्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–पाली (राज0)

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	0.00		स्टाम्प वकालतनामा	18.00	
स्टाम्प वकालतनामा	0.00		स्टाम्प अर्जी	7.00	
स्टाम्प वजह सबूत	0.00		महनताना वकील	0.00	
महनताना वकील	0.00		खर्चा गवाहान	0.00	
खर्चा गवाहान	0.00		फीस कमीश्नर	0.00	
फीस कमीश्नर	0.00		बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00		मुत्फरिक	0.00	
मिजानः–	0.00		मिजानः–	25.00	

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 11:30:36 IST
Reason: SelfAttested